

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 08/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

राजू राम पुत्र बिंझाराम जाति ब्राह्मण निवासी 15-16 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र पुत्र बींझाराम जाति ब्राह्मण निवासी 15-16 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री राजेन्द्र इन्दौरा वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक- 02.09.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा बरमसर के खाता सं. 488/436 के ख.नं. 1412/322 की 1.075 है., 318 की 2.504 है., 320 की 10.787 है., 332 की 4.072 है. में से 1/15 हिस्सा, ग्राम मलकासर के खाता सं. 223/198 के ख.नं. 344 की 1.112 है., 351 की 11.827 है., 361 की 2.327 है., 362 की 0.405 है. कुल 15.671 है. मे से 3134/47013 हिस्सा में दर्ज वादी का नाम राजेन्द्र पुत्र बींझाराम के स्थान पर राजूराम पुत्र बिंझाराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02.9.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

